

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

का०आ०सं०- वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/ 655 /पटना, दिनांक - 20-2-2019

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 20/2014 के आलोक में आयोग के पत्रांक 318 दिनांक 16.01.19 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को वेतनमान पीबी-3, 15600-39100 + एजीपी 6000/- (अपुनरीक्षित) एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों के साथ बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा के अधीन सहायक प्राध्यापक (असैनिक) के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 7 में अंकित संस्थान में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम, पिता/पति का नाम एवं पत्राचार पता	आरक्षण कोटि	मेधा क्रमांक	गृह जिला	फोटो	पदस्थापित अभि०महा० का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री रोहित कुमार सिंह, पिता-श्री अशोक कुमार सिन्हा ग्राम-विष्णुपुरा (पूरब टोला), पो०-गुलटेनगंज, थाना-मुफसिल जिला-छपरा (सारण), पिन-841211	01 सामान्य	32	छपरा (सारण)		रा० अभि० महा०, सहरसा
2.	श्री गौरव जायसवाल पिता-श्री अशोक जायसवाल ग्राम-रामपुर चौराहा, गौरी बाजार, जिला-देवरिया (उ.प्र.) पिन-274202	01 सामान्य	35	देवरिया (उ.प्र.)		रा० अभि० महा०, जमुई
3.	श्री लक्ष्मीकांत पिता-श्री धनपति सेठ ग्राम+पो०-कनियारी, थाना-दिनारा, जिला-रोहतास पिन-820013	05 पिछड़ा वर्ग	51	रोहतास		रा० अभि० महा०, बेगूसराय
4.	श्री प्रवीण कुमार आशीष पिता-श्री नाथुन चौधरी ग्राम-छपरापुर, पो०-नारायणपुर, जिला-भोजपुर पिन-802201	05 पिछड़ा वर्ग	52	भोजपुर आरा		रा० अभि० महा०, बांका
5.	श्री भूषण कुमार पिता-श्री अशोक कुमार ग्राम+पो०-पथरा, थाना-बाराहाट, जिला-बांका, पिन-813103	05 पिछड़ा वर्ग	53	बांका		रा० अभि० महा०, वैशाली
6.	सुश्री नेहा कुमारी पिता-श्री तारकनाथ ग्राम-दिवान मोहल्ला नौजर घाट पटना सीटी पो०-झाउगंज थाना- खाजेकला, पटना, पिन-800008	06 पिछड़ा वर्ग (महिला)	113	पटना		रा० अभि० महा०, वैशाली

2. इन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक प्राध्यापक (असैनिक) के पद पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
3. इनकी पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मेधा क्रमांनुसार होगी।
4. सभी नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (असैनिक) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर नव पदस्थापित संस्थान में निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों एवं आवेदन में अंकित किये गये सूचना गलत पाये जाने पर बिना कारण पृच्छा के इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा उम्मीदवार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. इनकी यह नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं किसी भी समय बिना कोई कारण बताए तथा बिना पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।
7. ऐसे नव नियुक्त सहायक प्राध्यापक (असैनिक) जो वर्तमान में किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. पूर्व से सरकारी सेवा/लोक उपक्रम में नियुक्त अभ्यर्थी अपने नियोक्ता से विरमित होने के पश्चात ही नव पद पर अपना प्रभार प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। इनका प्रभार प्रतिवेदन विरमित आदेश प्राप्त होने के उपरान्त ही नियंत्री पदाधिकारी इनके प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे।
9. सभी अभ्यर्थी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग निर्गत संकल्प संख्या 1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में दहेज नहीं लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
10. बिहार सेवा संहिता के नियम 52 के अन्तर्गत अभ्यर्थी जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी –सह-असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदत्त अपनी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी को योगदान के समय निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।
11. निर्धारित तिथि तक योगदान देने अथवा निर्धारित तिथि तक अवधि विस्तार का आवेदन न देने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए भविष्य में इनका कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/

/पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि – श्री/सुश्री/श्रीमती-, पिता/पति का नाम- ..

फोटो

..... ग्राम/मो०-

..... जिला- को सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

24/02/19

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/ 655 /पटना, दिनांक – 20-2-2019
प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (विभागीय आई०टी० मैनेजर के माध्यम से)।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/ 655 /पटना, दिनांक – 20-2-2019
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग),
विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2017/655/पटना, दिनांक – 20-2-2019
प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार,
पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण
महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय
मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त
सचिव/सभी संबंधित अभ्यर्थियों/सभी पदाधिकारियों एवं आई० टी० मैनेजर, (विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित प्राचार्यों को निदेशित किया जाता है कि नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का
शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की जाँच संबंधित संस्थानों/कार्यालयों से कराकर
उसका प्रतिवेदन विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

सरकार के विशेष सचिव